न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 03/2020

उनवान

1. राकेश कुमार पुत्र मोतीलाल
2. राजेश पुत्र मोतीलाल जाति ओसवाल (अग्रवाल) नि0 देवडूंगरी रोड मदनगंज किशनगढ, अजमेर।

——— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. ग्राम पंचायत सराना जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत सराना, अजमेर
2. राजस्थान सरकार तहसीलदार अजमेर

—— अप्रार्थीगण :– अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 1.4.24

उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के यहा 1.10.20 को दर्ज हुआ। श्रीमान निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र कमांक /मुन्त/टीए/2020/45–47 अजमेर दिनांक 30.3.21 व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के पत्र कमांक/न्याया/2021/2839 दिनांक 15.4.21 द्वारा हाजा न्यायालय में सथानान्तरित की गयी तथा उभयपक्ष को दिनांक 28.4.21 को हाजा न्यायालय में उपसिथिति होने हेतु निर्देशित किया गया। अर्प्राथी संख्या 1 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे उनके द्वारा पूर्व में प्रकरण में जवाब पेश किया जा चुका है। तहसीलदार अजमेर द्वारा मौका रिपोर्ट पूर्व में पेश की जा चुकी है।

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सराना तहसील अजमेर के हाल खसरा नम्बर 1350 रकबा 0.63 लगभग 4–0–0 बीघा भूमि प्रार्थीगण की है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 2035/1354 है जिसके लम्बवत उत्तर से दक्षिण दिशा में गेगल रोड गुजरती है। एवं प्रार्थीगण अपने ग्राम मदनगंज किशनगढ से इसी गेगल रोड का उपयोग करते है। खसरा नम्बर 2035/1354 की भूमि के उत्तर की ओर ... डै में प्रवेश कर मेड के सहारे–सहारे पश्चिम से पूर्व उपनी खातेदारी आराजी पर ... करते है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त विवादित रास्ते पर जबरन कब्जा करने ... अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण को उक्त आराजी पर ... चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:46:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार अजमेर द्वारा पूर्व में मौका रिपोर्ट पेश की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व में जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की भूमि का रास्ते के लिये उपयोग नही किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सराना ने उपरोक्त भूमि पर मेडबन्दी करायी हुयी है। उक्त भूमि पर पंचायत भवन बनना प्रस्तावित है। इसके लिये 2.5 बीघा जमीन इस खसरे से आवंटित हुयी है। बाकी जमीन लोक कल्याणकारी कार्यो के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत को दी गयी है। जिसमें अन्य सरकारी भवन बनाना प्रस्तावति है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। हाजा न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित नही रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार हाल खसरा नम्बर 1350 रकबा 0.63 प्रार्थीगण की खातेदारी की है। खसरा नम्बर 2035/1354 रकबा 2.08 किस्म बारानी 2 नर्सरी ग्राम पंचायत सराना के नाम दर्ज है। तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 2035/1354 रकबा 2.08 में से 5 गुना 104 कुल 520 वर्ग मीटर रास्ता चाहा गया है। जिसकी डी0एल0सी0 दर से राशि 43128 प्रति बीघा व भूमि की किमत 13854/ रूपये होती है। रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की खातेदारी में आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। प्रस्तावित मार्ग निकटतम, सुगम व लघुतम दूरी का मार्ग है। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना उचित बताया गया।

उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग रेकार्ड व मौके पर उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को मार्ग की आत्यतिंक आवश्यकता सिद्व होती है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब में कथन किया कि उक्त भूमि पर पंचायत भवन बनना प्रस्तावित है। इसके लिये 2.5 बीघा जमीन इस खसरे से आवंटित हुयी है। शेष जमीन लोक कल्याणकारी कार्यो के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत को दी गयी है। जिसमें अन्य सरकारी भवन बनाना प्रस्तावित है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके समर्थन में आवंटन आदेश अथवा अन्य ठोस दस्तावेज पेश नही किये है जो इनके कथनों की ताईद करते हो। प्रार्थीगण को रास्ते हेतु 520 वर्ग मीटर भूमि ही दी जानी है जो कि मेड के सहारे-सहारे है। शेष आराजी पर ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी भवन का निर्माण किया जा सकता है। **धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत किसी काश्तकार के पास अपने खातेदारी खेतो में जाने हेतु काई मार्ग विधमान या उपलब्ध नही है तो वह अन्य काश्तकार की खातेदारी में से अपनी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता प्राप्त कर सकता है।** प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिर्पोट अनुसार प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम सराना तहसील अजमेर के हाल खसरा नम्बर 2035/1354 रकबा 2.08 में से (104 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा) 520 वर्ग मीटर भूमि रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अजमेर उक्त आराजी के एवज में 27721/ अक्षरे सताईस हजार सात सौ इक्कीस रूपये का भुगतान अप्रार्थी संख्या 2 को [illegible] बाद रास्ते का इन्द्राज राजस्व अभिलेख के सिवायचक खाते में करने की कार्यवाही [illegible] स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:46:31 IST
Reason: SelfAttested